बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रा.प्र.क्रं. निग/3493/III/15 सन् 2015

हरचरन विश्वकर्मा तनय कन्दू विश्वकर्मा (लुहार)

नि0 ग्राम गुरैया तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. ---निगरानीकर्ता

बनाम

1– मुस0 रमिया बेवा बृजलाल अहीर

2– छन्नूलाल तनय बृजलाल अहीर

दोनो नि0 ग्राम गुरैया तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.

3– शासन म0प्र0 द्वारा अधीक्षक, भू–प्रबंधन अधिकारी छतरपुर -------**अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 न्यायालय अधीक्षक भू–प्रबधंन छतरपुर के प्रकरण क्रं0 30/अ–12/2014–15 रमिया व अन्य बनाम शासन म0प्र0 मे पारित आदेश दिनांक 28.8.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर निगरानी पत्र प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 330, 331, 749, 750, 752, 753, 333 कुल किता–7 एकत्र रकवा 1.858 है0 स्थित ग्राम गुरैया तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. में है। जिसका कि सीमांकन निगरानीकर्ता के द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख शाखा छतरपुर के माध्यम से प्रकरण क्रं0–9/अ–12/2014–15 के आधार पर दर्ज करते हुये दिनांक 8.6.2015 को गठित दल के सदस्यों द्वारा टी.एस.एम. मशीन से कमलेन्द्र पटेल प्रभारी द्वारा किया गया था जिसे कि दिनांक 15.6.2015 को अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर के द्वारा विवाद न होने की स्थिति मे स्वीकार किया गया था ।

2– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा सीमांकन के पश्चात् सीमा चिन्ह लगाने के संबंध में पड़ोसी कृषकों तथा निगरानीकर्ता से विवाद होने पर निगरानीकर्ता द्वारा एस.डी.एम. छतरपुर के समक्ष धारा 145 जा.फौ. का आवेदन प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है तत्पश्चात् अनावेदकगण के द्वारा अधीक्षक भू प्रबंधन अधिकारी के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे कि भूमि खसरा नं.346, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4,349, 350, 351, 370/3 का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.3493-तीन/2015 **जिला- छतरपुर**

हरचरन विश्वकर्मा **विरूद्ध मुस. रमिया बेवा आदि**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय अधीक्षक भू-प्रबधंन, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28-08-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 11.01.19 सदस्य	